

क्रमांक/मा.चि./...2109

मण्डला/दिनांक 21-07-2023

प्रति,

सम्भागीय प्रबंधक
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड
जबलपुर, मध्यप्रदेश

विषय :- मण्डला जिले में ए.डी.बी.-6/7 योजना के अंतर्गत पदमी-रामनगर-घुघरी-सलवाह मार्ग
उन्नयन/निर्माण हेतु 5.445 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 5.70 हेक्ट.) वनभूमि मध्यप्रदेश
सड़क विकास निगम, जबलपुर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का
पत्र क्र./6-MPR026/2022-BHO दिनांक 26.06.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/1150/2022/10
-11/2613 भोपाल, दिनांक 28.06.2023
3. वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर का पत्र क्र./मा.चि./4523 दिनांक 06.07.2023 एवं
तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/व्यय/38 दिनांक 30.05.2022
4. इस कार्यालय का पत्र क्र./मा.चि./1955 दिनांक 10.07.2023 एवं 2024 दि. 14.07.2023

« « « » » »

विषयांकित प्रकरण में भारत शासन के संदर्भित पत्र से अधिरोपित शर्तों के तहत सैद्धान्तिक
स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त क्रमांक A-1 के अनुसार प्रकरण
अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा किया जाना है।

अतः वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर के तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/व्यय/38 दिनांक
30.05.2022 के अनुसार प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि 5596504.00 (अंकन पचपन लाख
छियानवें हजार पांच सौ चार रुपये मात्र) केवल ई-पोर्टल www.parivesh.nic.in के माध्यम से कैम्पा मद
में जमा कर, जनरेट चालान की प्रति में सील सहित प्रतिहस्ताक्षर कर, इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही
हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ऋषिभा सिंह नेताम)

भा.व.सं.-2018

वनमण्डलाधिकारी

पूर्व (सा.) वनमण्डल, मण्डला

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि./...2110

मण्डला/दिनांक 21-07-2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ
सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर की ओर उनके संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

पूर्व (सा.) वनमण्डल, मण्डला

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी पूर्व सामान्य वन मण्डल मण्डला (म.प्र.)

दूरभाष 07642-252423, ई-मेल - dfotemand@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 2024

मण्डला/दिनांक 14/07/2023

प्रति,

सम्भागीय प्रबंधक
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड
जबलपुर, मध्यप्रदेश

विषय :- मण्डला जिले में ए.डी.बी.-6/7 योजना के अंतर्गत पदमी-रामनगर-घुघरी-सलवाह मार्ग
उन्नयन/निर्माण हेतु 5.445 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 5.70 हेक्टे.) वनभूमि मध्यप्रदेश
सड़क विकास निगम, जबलपुर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का
पत्र क्र./6-MPR026/2022-BHO दिनांक 26.06.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/1150/2022/10
-11/2613 भोपाल, दिनांक 28.06.2023 एवं क्र./एफ-5/2022/10-11/66 दिनांक 07.
01.2022
3. वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर का पत्र क्र./मा.चि./4523 दिनांक 06.07.2023

« « « » » »

विषयांकित प्रकरण में भारत शासन के संदर्भित पत्र से अधिरोपित शर्तों के तहत सैद्धान्तिक
सहमति प्रदान की गई है। भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त क्रमांक A-4 के अनुसार एन.पी.व्ही.
की राशि जमा किया जाना है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र.
/एफ-5/2022/10-11/66 दिनांक 07.01.2022 से प्राप्त निर्देश के तहत इस वनमण्डल के वन प्रबंधन
क्षेत्रान्तर्गत प्रभावित वनभूमि 5.445 हेक्टेयर के लिये, दर 957780/-रूपये प्रति हेक्टेयर से एन.पी.व्ही. की
राशि 5215112.00 (शब्दों में बावन लाख पन्द्रह हजार एक सौ बारह रूपये मात्र) केवल ई-पोर्टल
www.parivesh.nic.in के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कर, जनरेट चालान की प्रति में सील सहित
प्रतिहस्ताक्षर कर, इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4 ✓
(ऋषिभा सिंह नेताम)

मा.व.से.-2018

वनमण्डलाधिकारी

✓ पूर्व (सा.) वनमण्डल, मण्डला

मण्डला/दिनांक 14/07/2023

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि./ 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के क्रम में
सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपवनमण्डलधिकारी जगमण्डल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी जगमण्डल, घुघरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3 ✓
वनमण्डलाधिकारी

✓ पूर्व (सा.) वनमण्डल, मण्डला

- 318 -